संख्या-31/2020/175/52-1-2020-18(पी0एम0जे0वी0के0)/20

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2020

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 21वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 06.12.2019 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जे0पी0 नगर, बागपत, बलरामपुर, बिजनौर, बदायूं, मेरठ एवं मुरादाबाद जनपदों में 380 स्वीकृत स्मार्ट क्लास हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/86/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 30.12.2019 द्वारा विभिन्न जनपदों विभिन्न विद्यालयों में स्वीकृत 380 स्मार्ट क्लास के निर्माण हेतु **आई0टी0आई0 लि0 को कार्यदायी संस्था** नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 579.12 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 173.736 लाख**(रूपये एक करोड़ तिहत्तर लाख तिहत्तर हजार छः सौ मात्र)** तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि रू0 115.824 लाख**(रूपये एक करोड़ पन्द्रह लाख बयासी हजार चार सौ मात्र)** अर्थात् **कुल रू0 289.56 लाख (रूपये दो करोड़ नवासी लाख छप्पन हजार मात्र)** योजना के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्वितीय अनुपूरक बजट रू0 2085.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

(केन्द्रांश-60, राज्यांश-40) **(रू0 लाख में)**

क्र0	जनपद	योजना एवं वि0ख0	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित **प्रथम किश्त**		अवमुक्त कुल धनराशि **(के0+रा0)**
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	**जे0पी0 नगर**	वि0ख0 अमरोहा में स्मार्ट क्लास का निर्माण	8	2.54	12.192	8.128	20.32	3.6576	2.4384	6.096
		वि0ख0 गजरौला में स्मार्ट क्लास का निर्माण	4	2.54	6.096	4.064	10.16	1.8288	1.2192	3.048

http://shasanadesh.up.gov.in

		वि0ख0 हसनपुर में स्मार्ट क्लास का निर्माण	2	2.54	3.048	2.032	5.08	0.9144	0.6096	1.524
		वि0ख0 जोया में स्मार्ट क्लास का निर्माण	2	2.54	3.048	2.032	5.08	0.9144	0.6096	1.524
		वि0ख0 धनौरा में स्मार्ट क्लास का निर्माण	2	2.54	3.048	2.032	5.08	0.9144	0.6096	1.524
2	**बागपत**	वि0ख0 बडौत में स्मार्ट क्लास का निर्माण	8	2.54	12.192	8.128	20.32	3.6576	2.4384	6.096
		वि0ख0 छपरौली में स्मार्ट क्लास का निर्माण	22	2.54	33.528	22.352	55.88	10.0584	6.7056	16.764
3	**बलरामपुर**	वि0ख0 गैन्दास बुजुर्ग में स्मार्ट क्लास का निर्माण	4	2.54	6.096	4.064	10.16	1.8288	1.2192	3.048
		वि0ख0 गेसरी में स्मार्ट क्लास का निर्माण	16	2.54	24.384	16.256	40.64	7.3152	4.8768	12.192
		वि0ख0 हरईया सतघरवा में स्मार्ट क्लास का निर्माण	1	2.54	1.524	1.016	2.54	0.45720	0.3048	0.762
		वि0ख0 रेहरा बाजार में स्मार्ट क्लास का निर्माण	4	2.54	6.096	4.064	10.16	1.8288	1.2192	3.048
		वि0ख0 श्रीदत्तगंज में स्मार्ट क्लास का निर्माण	1	2.54	1.524	1.016	2.54	0.45720	0.3048	0.762
		वि0ख0 तुलसीपुर में स्मार्ट क्लास का निर्माण	6	2.54	9.144	6.096	15.24	2.7432	1.8288	4.572
		वि0ख0 उतरौला में स्मार्ट क्लास का निर्माण	4	2.54	6.096	4.064	10.16	1.8288	1.2192	3.048
4	**बिजनौर**	वि0ख0 हलदौर में स्मार्ट क्लास का निर्माण	22	2.54	33.528	22.352	55.88	10.0584	6.7056	16.764
		वि0ख0 जोलीपुर में स्मार्ट क्लास का निर्माण	20	2.54	30.48	20.32	50.8	9.144	6.096	15.24
		वि0ख0 कीरतपुर में स्मार्ट क्लास का निर्माण	34	2.54	51.816	34.544	86.36	15.5448	10.3632	25.908
		वि0ख0 कोतवाली में स्मार्ट क्लास का निर्माण	14	2.54	21.336	14.224	35.56	6.4008	4.2672	10.668
		वि0ख0 मोहम्मदपुर देवमल में स्मार्ट क्लास का निर्माण	30	2.54	45.72	30.48	76.2	13.7160	9.1440	22.86
		वि0ख0 नजीबाबाद में स्मार्ट क्लास का निर्माण	6	2.54	9.144	6.096	15.24	2.7432	1.8288	4.572
		वि0ख0 नूरपुर में स्मार्ट क्लास का निर्माण	2	2.54	3.048	2.032	5.08	0.9144	0.6096	1.524

http://shasanadesh.up.gov.in

		वि0ख0 सीहरा में स्मार्ट क्लास का निर्माण	6	2.54	9.144	6.096	15.24	2.7432	1.8288	4.572
5	**बदायूं**	वि0ख0 बदायूं एन0पी0पी0 में स्मार्ट क्लास का निर्माण	6	2.54	9.144	6.096	15.24	2.7432	1.8288	4.572
		वि0ख0 देहगवां में स्मार्ट क्लास का निर्माण	12	2.54	18.288	12.192	30.48	5.4864	3.6576	9.144
		वि0ख0 ककरेला में स्मार्ट क्लास का निर्माण	2	2.54	3.048	2.032	5.08	0.9144	0.6096	1.524
		वि0ख0 सहावन में स्मार्ट क्लास का निर्माण	6	2.54	9.144	6.096	15.24	2.7432	1.8288	4.572
6	**मेरठ**	वि0ख0 परीक्षितगढ में स्मार्ट क्लास का निर्माण	4	2.54	6.096	4.064	10.16	1.8288	1.2192	3.048
7	**मुरादाबाद**	वि0ख0 भगतपुर टान्डा में स्मार्ट क्लास का निर्माण	2	2.54	3.048	2.032	5.08	0.9144	0.6096	1.524
		वि0ख0 बिलारी में स्मार्ट क्लास का निर्माण	10	2.54	15.240	10.16	25.4	4.572	3.048	7.62
		वि0ख0 छजलेट में स्मार्ट क्लास का निर्माण	24	2.54	36.576	24.384	60.96	10.9728	7.3152	18.288
		वि0ख0 कुन्दारी में स्मार्ट क्लास का निर्माण	38	2.54	57.912	38.608	96.52	17.3736	11.5824	28.956
		वि0ख0 मुरादाबाद में स्मार्ट क्लास का निर्माण	36	2.54	54.864	36.576	91.44	16.4592	10.9728	27.432
		वि0ख0 मुन्डापाण्डे में स्मार्ट क्लास का निर्माण	8	2.54	12.192	8.128	20.32	3.6576	2.4384	6.096
		वि0ख0 डाकुरद्वारमें स्मार्ट क्लास का निर्माण	14	2.54	21.336	14.224	35.56	6.4008	4.2672	10.668
		योग	**380**		**579.12**	**386.08**	**965.2**	**173.736**	**115.824**	**289.56**

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी0-1-170/दस/ 2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(15)(ख) में निर्धारित व्यवस्था निम्नवत् है:-

" यदि प्रशासकीय विभाग किसी प्रकरण में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एक साथ जारी किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य पाते है, तो प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त् विभाग की सहमति से जारी कर सकते है।"

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

http://shasanadesh.up.gov.in

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार **प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा** तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **कार्यदायी संस्था आई0टी0आई0 लि0** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।**

(5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6)- कार्य की विशिष्टयॉं, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(7)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8)- **धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी।** उपरोक्त परियोजनाओं हेतु मांगी गयी एवं जारी की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(9)- **वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2019 एवं 30.03.2018, 24.04.2018, 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(10)- **लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।**

(11)- **कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।**

(12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(17)- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- **"0105-तकनीकी माध्यमों से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार-(के० 60 /रा० 40-के०+रा०)-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान"** के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-243/दस-2020, दिनांक 13.3.2020 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-175(1)/बावन-1-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत कार्य में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, **आई0टी0आई0 लि0** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13- लेखाधिकारी/ वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in